

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Where is the time for us that way? I have written to you before 10 O'Clock. I want to mention the matter for getting a clarification.

MR. SPEAKER: Not today.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am sorry you cannot shut me out. I have written to you. I am within my rights, under the rules.

MR. SPEAKER: It can be done only with my permission, not otherwise.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have not been told what has happened to it.

MR. SPEAKER: I have agreed to consider the matter.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have not been informed.

MR. SPEAKER: You will be duly informed.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The information has to come before 12 O'Clock. It has not come to me.

MR. SPEAKER: Please come to my Chamber.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I want only one minute.

MR. SPEAKER: I do not allow.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: How?

MR. SPEAKER: I will consider the matter. If you want, you can discuss it with me.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is about....**

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

12.52 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

- (i) REPORTED CLOSURE OF JUTE MILLS IN KATIHAR, NORTH BIHAR RESULTING IN UNEMPLOYMENT TO 3500 WORKERS.

श्री युवराज (कटिहार): अध्यक्ष महोदय, इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है और उसके उत्तरी हिस्से में कटिहार नामक जगह में एक आर० बी० एच० एम० जूट मिल है जो सबसे बड़ी जूट मिल है, जहां पर 3500 मजदूर काम करते थे। 8-3-76 को कारखाने के मालिकों की कुव्ववस्था और आर्थिक संकट के चलते, यह कारखाना बन्द हो गया और कारखाने के बन्द होने से वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे वे बेरोजगार हो गये। इतना ही नहीं, उत्तरी बिहार की लगभग 80 लाख आवादी और आसपास के तीन जिलों, पूर्णिया, कटिहार और सहरमा के काश्तकार, जिनकी एकमात्र नकदी फसल जूट है, उनके सामने भी एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। जिम इलाके की एकमात्र नकदी फसल जूट हो, वहां जूट के कारखाने के बन्द होने से आर्थिक मजदूरों के सामने तो संकट है ही लेकिन किसानों के सामने भी संकट है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो दूसरा कारखाना बगल में था, वह भी 14 जुलाई से बन्द हो गया है और जो बड़ा कारखाना 8-3-76 से बन्द है, उस कारखाने की एक महिला मजदूर और एक मर्द मजदूर भूख से मर गये ह और उनके बकिया पैसे का भुगतान नहीं किया गया। वाणिज्य मंत्री जी के विभाग के अन्तर्गत यह आता है। मैंने उनसे निवेदन किया था और माननीय प्रधान मंत्री जी को भी मैंने आवेदन दिया

था। लेकिन प्रतिनिधित्व के बावजूद जिस विभाग के जिम्मे यह कार्य है उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जिस उत्तरी बिहार में कोई उद्योग नहीं है वहां जूट के दोनों कारखाने बन्द हो गये हैं। वहां किसान जूट की फसल पैदा करते हैं लेकिन उनकी फसल को अब कोई लेने को तैयार नहीं है। मैंने वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुये और जब भी मुझे मौका मिला मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि उत्तरी बिहार के लोगों में इससे काफी असन्तोष है।

मैं सम्बन्धित मंत्री का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूँ कि यह इलाका पश्चिम बंगाल में मिला हुआ है। कटिहार में मजदूर भूखे मर गये हैं। वे रोजी और अपने बकाया भुगतान के अभाव में भूखों मरे हैं। अगर भारत सरकार इन कारखानों को टेकओवर करके इन्हें नहीं चलाएगी तो वहां इसकी बुरी प्रतिक्रिया होगी। आज वहां मजदूर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहां के किसानों की पार फसल पहले 52-55 रुपए प्रति चालीस किलो के हिसाब से विकती थी अब कोई उम फसल को 32-33 रुपये के भाव पर लेने वाला नहीं है क्योंकि आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स प्राइवेट लि० कटिहार और कटिहार जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड कटिहार बन्द हो चुकी है।

हमने जनता से काम देने का वायदा किया था लेकिन अब जो कारखाने बन्द हो रहे हैं उनसे मजदूर बेकार हो रहे हैं। उत्तर बिहार की तीन करोड़ आबादी में इन तीन जिलों की आबादी 80 लाख है। इन कारखानों में पांच-छह हजार मजदूर काम करते हैं। पहले की बिहार सरकार ने, उसके औद्योगिक कमिश्नर ने, उसके श्रम मंत्री ने बारबार भारत सरकार को लिखकर अपनी राय जाहिर की है कि बिहार सर-

कार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इन कारखानों की लेकर चला सके, इसलिए इंडस्ट्रीज डवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन एक्ट की धारा 18ए के अधीन इन कारखानों को लेकर भारत सरकार चला सकती है। अगर भारत सरकार इन कारखानों की लेकर नहीं चलाएगी तो मजदूरों में और वहां की जनता में इससे असन्तोष फैलेगा। हमारी सरकार ने जनता से वायदा किया है कि वह बेरोजगारी को दूर करेगी और लोगों को काम देगी। आज तमाम लोग वहां परेशान हैं। किसानों की हालत बदतर हो गई है, मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।

इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि इन मिलों को टेकओवर करें और वहां के जो मजदूर परेशान और तबाह हैं, उनको शीघ्र मिल चालू कर रोजगार देने की व्यवस्था करें।

(ii) REPORTED STRIKE IN JUTE INDUSTRY OF WEST BENGAL FROM JULY 28, 1977.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Sir, I want to know when the Report of the Commissioner of SC&ST is to be discussed. I am told that it is being postponed.

MR. SPEAKER: After the Tea Bill is over. Probably, it will be after lunch.

SHRI SAUGATA ROY (Barrack-pore): I would like to draw the attention of the House to the strike that is going to take place in the whole jute industry of West Bengal tomorrow. Over 2 lakh workers working in 62 jute mills in West Bengal are going on strike from tomorrow. They belong to all shades of political opinion and all trade unions to protest against the retrenchment and lay off in the jute industry and for the payment of bonus. We have raised this question of crisis in jute industry a number of times in this House and the Commerce Minister had given us an assurance that he